संख्या:3 /2024/58ई-2/तेरह-2024-480290

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 19 जनवरी, 2024

विषयः- मेसर्स इण्डिया ग्लाइकाल्स लि., आसवनी, गीडा, गोरखपुर आसवनी में अधिष्ठापित क्षमता के अन्तर्गत पेय क्षमता एवं औद्योगिक क्षमता में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: जी.-127-/दो.-प्रा.डी.-126/आई.जी.एल., दिनांक 28-12-2023 एवं प्रकरण में प्रमुख सचिव महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 12-01-2024 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 15-01-2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्र में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं आद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 03-04-2023 एवं शासनादेश दिनांक 01-03-2021 को संशोधित करते हुए मेसर्स इण्डिया ग्लाइकाल्स लि., आसवनी, गीडा, गोरखपुर की औद्योगिक क्षमता में 130 लाख ब.ली. वार्षिक वृद्धि करते हुए 270 लाख ब.ली. वार्षिक से 400 लाख ब.ली. वार्षिक किये जाने एवं पेय क्षमता में उतनी ही कमी करते हुए 720 लाख ब.ली. वार्षिक से 590 लाख ब.ली. वार्षिक किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा उत्पादन करते समय निम्नलिखित शर्तों का भी अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा:-

(क) इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 एवं उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (पन्द्रहवां संशोधन) नियमावली, 2020 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ख) इकाई द्वारा अनाज से एथनॉल उत्पादन किये जाने के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3 (4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ. प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

(ग) आसवनी में स्थापित 100 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के अनाज पर पर प्लांट चलाये जाने से पूर्व यथास्थिति उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रदूषण भार में वृद्धि नहीं होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा तथा आसवनी द्वारा समस्त आवश्यक पर्यावर्णीय तथा अन्य सांविधिक शर्तों का पालन किया जायेगा।

(घ) इकाई द्वारा उत्पादन करते समय गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (GMP) एवं भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ड.) आबकारी आयुक्त द्वारा प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आसवनी पर अद्यतन कोई सरकारी राजस्व बकाया न हो।

(च) इकाई में स्थापित किये जा रहे एथनाल संचय टैंकों पर राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर, जो आबकारी विभाग के पोर्टल से इन्टीग्रेट होगा, लगाया जाना अनिवार्य होगा।

कृपया तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

संख्या: 3 / 2024 / 58ई-2 / तेरह-2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
(2) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**